Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 16-08-2005

Participants : Patel Shri Jivabhai Ambalal

>

Title : Need to simplify tax regime in the interest of trading community.

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी जब किसी व्यापारी के यहां छापा मारते हैं तो सभी प्र ाक्रिया उसी समय तैयार कर ली जाती है। उसी वक्त व्यापारियों के ब्यान दर्ज कर लिये जाते हैं। परन्तु, राजस्व विभाग के अधिकारी नाहक व्यापारियों को अपने कार्यालयों में बुलवाते हैं और उन्हें तंग करते हैं और उन्हें डराने और धमकाने का काम करते हैं। व्यापारी लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती है और यह अधिकारी लोग इस प्रकार से वातावरण तैयार करते हैं, जिसके कारण व्यापारियों को चोर कहा जाता है। उद्योग चलाने के लिए एवं व्यापार चलाने के लिए इन नियमों में सरलीकरण और व्यापारियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यापारी कर नहीं देता है तो उसको दंड दिया जाये और उससे पेनल्टी ली जाये। परन्तु, उन्हें बार बार बुलाना और तंग करना व्यापार को बढ़ाने के हित में नहीं है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कर व्यवस्था में जो राजस्व अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को बुलाने का अधिकार है, उसको समाप्त किया जाये, जिससे उद्योग और व्यापार बढ़ सके और इसके बढ़ने से देश में बेरोजगारी को दूर भी किया जा सकता है।